



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2018 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे जुबली हॉल, पालीवाल पार्क, आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

डा० अरविन्द कुमार दीक्षित (अध्यक्ष) - कुलपति

2. डा० वाई०पी० सिंह
3. डा० बिन्दुशेखर शर्मा
4. डा० आर०के० सिंह
5. डा० वी०पी० सिंह
6. प्रो० एस०के० कठेरिया
7. डा० ब्रजेश कुमार
8. डा० वी०के० सारस्वत
9. प्रो० मनोज श्रीवास्तव
10. प्रो० दिवाकर खरे
11. डा० हेमा पाठक
12. डा० ए०के० राघव
13. डा० बहादुर सिंह
14. डा० नीता गुप्ता
15. डा० विपिन कुमार
16. डा० रनवीर सिंह
17. डा० अनिल कुमार वर्मा
18. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव
19. डा० सुरेन्द्र सिंह
20. प्रो० हरबंस सिंह सोलंकी
21. डा० जी०के० गुप्ता
22. डा० ब्रजेश रावत
23. डा० के०पी० सिंह
24. डा० एस०सी० उपाध्याय
25. डा० दीपमाला श्रीवास्तव
26. प्रो० आशा अग्रवाल
27. प्रो० वाई०पी० सिंह
28. डा० शशि वाला यादव
29. डा० अंचला गक्कर
30. प्रो० सुनन्दा खन्ना
31. डा० पीयूष त्यागी
32. डा० प्रदीप कुमार सिंह
33. डा० योगेश कुमार गोयल
34. प्रो० अजय तनेजा
35. डा० मनु प्रताप सिंह

af

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 36. डा0 संजय चौधरी | 37. डा0 भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |
| 38. डा0 यू0सी0 शर्मा | 39. डा0 यू0एन0 शुक्ला |
| 40. डा0 मन्जू लता शर्मा | 41. डा0 विनोद कुमार महेश्वरी |
| 42. डा0 नीता | 43. प्रो0 सुगम आनन्द |
| 44. प्रो0 विनीता सिंह | 45. डा0 रंजना गुप्ता |
| 46. डा0 उमेश चन्द्र | 47. डा0 राजीव कुमार |
| 48. डा0 एम0सी0 वाष्ण्य | 49. डा0 एन0के0 सिंह |

कुलसचिव - सचिव

कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित हुये सभी माननीय विद्या परिषद् के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा उनके बैठक में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया। कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति जी के निर्देशन में परीक्षा कार्यक्रम की अवधि कम करते हुये 42 दिनों में परीक्षा पूर्ण करायी गई। इसी तरह भविष्य में सभी के सहयोग से और भी सुधार अपेक्षित है।

कुलपति जी द्वारा अपने सम्बोधन में अवगत कराया कि भविष्य में बैठकों को समय से सुचारु रूप से सम्पन्न करायी जाय। साथ ही कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय सरकार के अधीन चलने वाले संस्थान जैसे-**FFDC (Fragrance & Flavors development Centre), MSME (Ministry of Micro, small & medium enterprises, Govt. of India) Kannauj** एवं **National Jalma institute for leprosy and other Mycobacterial diseases, Taj Ganj, Agra (ICMR)** के साथ **MOU** कर विश्वविद्यालय के **Research Centre** बनाने की अनुमति प्रदान की गई। परिषद् इससे अवगत हुई।

1. विद्या परिषद् के द्वारा अपनी बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।
(परिशिष्ट-1)
निर्णय:- विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।
2. वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 16.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।
(परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 16.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनमोदन प्रदान किया गया।

af

3. कला संकाय की बैठक दिनांक 25.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट -3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 25.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनमोदन प्रदान किया गया।

4. आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय की बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 13.04.2018 एवं 04.07.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट -4)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय की बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 13.04.2018 एवं 04.07.2018 की संस्तुतियों को अनमोदन प्रदान किया गया।

5. विद्या परिषद् को कुलपति आदेश दिनांक 16.08.2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में C.B.C.S. प्रणाली लागू किये जाने से अवगत करना।

(परिशिष्ट -5)

निर्णय:- कुलपति आदेश दिनांक 16.08.2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में C.B.C.S. प्रणाली लागू किये जाने से विद्या परिषद् अवगत हुई।

6. विद्या परिषद् को कुलपति आदेश दिनांक 25.05.2018 के अनुपालन में विधि (Law) प्रवेश लेने हेतु अर्हता संशोधन से अवगत कराना।

(परिशिष्ट -6)

निर्णय:- कुलपति आदेश दिनांक 25.05.2018 के अनुपालन में विधि (Law) प्रवेश लेने हेतु अर्हता संशोधन से विद्या परिषद् अवगत हुई।

7. विद्या परिषद् द्वारा चिकित्सा संकाय के अध्ययन बोर्ड/कॉलेज काउन्सिल की बैठक दिनांक 02.07.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट -7)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा चिकित्सा संकाय के अध्ययन बोर्ड/कॉलेज काउन्सिल की बैठक दिनांक 02.07.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

af

8. विद्या परिषद् द्वारा शोध प्रस्तावित अध्यादेश-2016 (As per regulation 2016 एवम् शासनादेश संख्या 683/सत्तर-1-2015-16(74)/2011 दिनांक 28 अगस्त, 2015 के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-8)

टिप्पणी:- "विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- आर/82/2018, दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रस्तुत शोध अध्यादेश, 2016 को स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिये शोध-अध्यादेश, 2016 संशोधित कर प्रारूप को UGC Regulation, 2016 के प्राविधानों को समावेशित करते हुये पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है।"

निर्णय:- सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित शोध अध्यादेश-2016 (आयोग विनियम 2016 तथा शासनादेश संख्या-7/2018/266/सत्तर-1-2018-16(74)/2011 दिनांक 24, अगस्त, 2018 के अनुरूप) के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

9. विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 01.09.2018 की बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालन करने के सम्बन्ध में बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-9)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 01.09.2018 की बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालन करने के सम्बन्ध में बैठक की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2018 का पूरक कार्यवृत्त

1. दीनदयाल ग्राम विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की Academic Committee की बैठक दिनांक 07.09.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।


(परिशिष्ट-1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा दीनदयाल ग्राम विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की Academic Committee की बैठक दिनांक 07.09.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. Institute of Engineering & Technology, Khandari, Agra की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Institute of Engineering & Technology, Khandari, Agra की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।



3. फार्मसी विभागाध्यक्ष डा0 ब्रिजेश कुमार तिवारी द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामैडिकल साइंस, खन्दारी, आगरा के अर्न्तगत नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा फार्मसी विभागाध्यक्ष डा0 ब्रिजेश कुमार तिवारी द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामैडिकल साइंस, खन्दारी, आगरा के अर्न्तगत नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. Chemistry की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।


टिप्पणी:- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा NSQF के अर्न्तगत Community college की योजना की रसायन विज्ञान विभाग को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें विभाग को सर्टीफिकेट कोर्स और Advance Diploma in "Food Analysis & Quality Assurance" इस सत्र में शुरू करने की योजना है, यू0जी0सी0 ने भी इस हेतु दिशा निर्देश जारी किये है जो दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को जारी किया गया है। इस हेतु विभाग की विद्वत समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर को कर ली गई है। उनकी सिफारिशों आगामी 27 सितम्बर, 2018 की विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् में रखे जाने हेतु अनुमति प्रदान करें। "


(परिशिष्ट-4)

निर्णय:- विद्या परिषद् Chemistry की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में कुलपति द्वारा अवगत कराया गया विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेमिनार, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जो प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त होंगे, उन पर विचार कर उन्हें समुचित धनराशि आवंटित की जायेगी। इसके साथ ही कुलपति जी द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अन्य बिन्दुओं पर भी माननीय सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया।

कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


कुलसचिव


कुलपति